कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)

पांच बिल्डींग, जेल रोड़ दुर्ग

कार्यालयः फोन एवं फैक्स न0 0788–2327531 ई–मेलः dfo-durg.cg@gov.in

क्रमांक/भण्डार/2018/ दुर्ग, दिनांक/

//संक्षिप्त निविदा सूचना//

दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के अन्तर्गत विभिन्न वानिकी कार्यो के उपयोग हेतु **पॉलीथीन बैग** प्रदाय करने हेतु वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के कार्यालय में निविदा मुहरबंद लिफाफा में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/सीधे वनमंडल कार्यालय दुर्ग में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– (रूपये दो सौ मात्र) के डिमाण्ड डाफ्ट्र अथवा बैंकर्स चैक जमाकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाईट **www.durgforest.gov.in** से भी Download किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र विक्रय की राशि 200/– रूपये का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि दिनांक 03.05.2018 समय दोपहर 03 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.05.2018 समय दोपहर 02 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि दिनांक 04.05.2018 समय दोपहर 04 बजे तक

(असफल होने की स्थिति में या आवश्यकता पड़ने पर)

द्वितीय निविदा तिथि :– दिनांक 13.05.2018

तृतीय निविदा तिथि :– दिनांक 18.05.2018

वनमंडलाधिकारी
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी
दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग
पता : पांच बिल्डिंग जेल रोड दुर्ग (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक: 0788–2327531
फैक्स क्रमांक: 0788–2327531
ई–मेल: dfo-durg.cg@gov.in

दुर्ग वनमंडल दुर्ग के अंतर्गत विभिन्न कार्य स्थल/प्रदाय स्थल तक प्रदाय किये जाने हेतु अनुमानित पॉलीथीन बैग प्रदाय के लिए दर अनुबंध के निविदा दस्तावेज

मैं/हम.. आत्मज.. मकान क्रमांक.................... मोहल्ला..तहसील.................................... जिला .... पॉलीथीन बैग सामग्रियों को प्रदाय करने हेतु आमंत्रित मुहरबंद निविदा की शर्ते एवं निविदाकार करारनामा की शर्तो के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित निविदा दरें प्रस्तुत कर रहे हैं :–

क्र	सामग्री का नाम	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	निविदा की प्रस्तावित दर प्रति किग्रा	अमानत राशि रूपये	संलग्न ड्राफ्ट क्र./दि. बैंक का नाम
1.	पॉलीथीन बैग	पौधा तैयारी हेतु उपयुक्त (एल.एल.डी.) छिद्रयुक्त परफोरेटेड एवं गेस्टेड	5000 किग्रा		50,000/–	

मैं/हम निम्नलिखित विभागों में पंजीकृत हैं तथा स्वयं द्वारा सत्यापित पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर रहे हैं :–

(1) आयकर पेन क्रमांक – ....
(2) वाणिज्य कर/जीएसटी पंजीयन क्रमांक – ....
(3) जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा – ....
जारी पंजीयन एवं उत्पादन प्रमाण पत्र – ....
(4) अन्य कोई विवरण – ....

मेरे द्वारा निविदा शर्ते पूर्णतः पढ़ी एवं समझी गई है। मैं/हम निविदा शर्तो को मानने बाध्य है तथा निविदाकार का करारनामा हस्ताक्षर सहित संलग्न है।

स्थान :– **निविदाकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित**

दिनांक :–

निविदाकार का करारनामा

(पॉलीथीन बैग प्रदाय करने हेतु निविदा)

यह करारनामा आज दिनांक ....को प्रथम पक्ष वनमंडलाधिकारी, दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष निविदाकार श्री/मेसर्स.. आत्मज .... मकान क्र....................... मोहल्ला..तहसील......................... जिला .... के मध्य निष्पादित किया जाता है।

यह कि वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग में पॉलीथीन बैग प्रदाय करने की छ.ग. शासन की ओर से शर्तो एवं नियमानुसार निविदाकार को ठेका देने में इच्छुक है।

यह कि दुर्ग वनमंडल चाहता है कि निविदाकार निविदा देने के साथ निविदाकार करारनामा पहले निष्पादित करें, ताकि वह निविदा की शर्तों को पूर्णतः मानने को बाध्य रहेगा।

वर्तमान में दोनो पक्ष साक्ष्यों के समक्ष आपस में समझौता करते है कि :–

1. निविदाकार घोषित करता है कि उसके द्वारा निविदा की शर्तों एवं करारनामा की शर्तों को ठीक से पढ़ा एवं पूर्णतः समझा गया है।
2. यह करारनामा निविदा खुलने की तिथि से दिनांक 30.06.2019 तक वैध रहेगा। यदि सफल निविदाकार इस निर्धारित समयावधि के पूर्व निविदा के शर्तो का उल्लंघन करता है तो वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल दुर्ग द्वारा निविदा के साथ संलग्न सत्यंकार की राशि अधिहरित की जावेगी एवं निविदाकार का नाम काली सूची में अंकित किया जा सकता है।
3. यह करारनामा हमेशा निविदा की शर्तों एवं करारनामा के अनुरूप रहेगा तथा यह माना जावेगा कि निविदा की शर्तों एवं करारनामा की आंशिक या पूर्ण व्याख्या इसमें समाहित है।

साक्षी के हस्ताक्षर (नाम एवं पता सहित) **प्रथम पक्ष**

1...

वनमंडलाधिकारी,
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग(छ.ग.)

2...

साक्षी के हस्ताक्षर (नाम एवं पता सहित) **द्वितीय पक्ष**

1...

नाम ....
आत्मज ....

2...

ग्राम ....**पोस्ट**.....................
जिला ....

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग

(पॉलीथीन बैग प्रदाय हेतु निविदा की शर्ते)

1. निविदाकार का स्वरूप व्यक्तिगत, प्रोप्राईटरशिप, पार्टनरशिप या प्रा.लि. फर्म का होगा तथा इसके प्रमाण हेतु पार्टनरशिप डीड/मेमोरेंडम/रजिस्ट्रार आफ फर्मस का पंजीयन की नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदाकार को आयकर एवं वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा इसके प्रमाण हेतु संबंधित विभाग की जीवित पंजीयन पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रारूप अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 03.05.2018 को दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालयीन समय पर 200/–रू. का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रारूप के साथ निविदाकार का करारनामा हस्ताक्षर सहित अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन डाउनलोड किये गये निविदा प्रारूप के साथ निविदा प्रारूप की राशि 200/–रूपये का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रारूप के साथ सामग्री के समक्ष दर्शित अमानत की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग के नाम से दुर्ग स्थित बैंक में देय हो प्रस्तुत करना होगा। बिना अमानत राशि के प्रस्तुत की गई दर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. उपरोक्त दर्शित मात्रा अनुमानित है, जो कम या अधिक हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर सामग्री क्रयादेश जारी किये जावेंगे।
6. निविदा का लिफाफा निविदा प्रारूप एवं अन्य आवश्यक कागजातों के साथ पूर्णतः मुहरबंद होना चाहिये। खुले लिफाफे स्वीकार नहीं किये जावेंगे। लिफाफा के ऊपर निम्नांकित विवरण लिखें :–

> पॉलीथीन बैग प्रदाय हेतु मुहरबंद निविदा
>
> प्रति,
>
> **वनमंडलाधिकारी,**
> **दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)**
>
> प्रेषक :– ....
> ....
> ....

7. निविदा के साथ वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जारी पंजीयन एवं उत्पादन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त अहर्ता में से किसी भी अहर्ता के न होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि निविदा 02 लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिसका क्र. 01 होगा, इसमें निविदाकार को समस्त अहर्ता हेतु वांछित अभिलेख एवं सत्यंकार की राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय लिफाफा जिसका क्र. 02 होगा, इसमें निविदाकार द्वारा निर्धारित निविदा प्रारूप में प्रस्तावित दर प्रस्तुत की जावेगी। निविदा खुलने के समय सर्वप्रथम लिफाफा क्र. 01 खोला जावेगा, यदि निविदाकार उक्त अहर्ता की पूर्ति नहीं करता है तो लिफाफा क्र.02 नहीं खोला जा कर अस्वीकार कर दी जावेगी।
8. उपरोक्त दर्शित मुहरबंद लिफाफा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2018 को प्रातः 10.30 बजे से 2.00 दोपहर तक प्राप्त किया जावेगा तथा उनके द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा तथा उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष सायं 4.00 बजे निविदा खोली जावेगी, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नही किया जावेगा।
9. निविदा के साथ सत्यंकार की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जारी तथा दुर्ग में देय होगा, अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।

10. पॉलीथीन बैग की आवश्यक अनुमानित मात्रा स्थल में पहुंचा कर प्रदाय करना होगा।

11. पॉलीथीन बैग का आकार आवश्यकता अनुसार 15X20, 15X25, 25X30, 35X40 तथा मोटाई 300 गेज का होगा।

12. शासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले 1 वित्तीय वर्ष में सफलता पूर्वक राशि 05 लाख से उपर के पॉलीथीन बैग प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

13. सामग्री प्रदाय के लिए संस्था का वार्षिक टर्न ओवर 25.00 लाख से अधिक होना अनिवार्य है।

14. तकनीकी निविदा के साथ विभिन्न साइजों के पॉलीथीन बैग (300 गेज मोटाई) का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. सफल निविदाकार को समय–समय पर आवश्यकतानुसार पॉलीथीन बैग प्रदाय करने के आदेश पारित किये जावेंगें तथा आदेश पारित होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर सामग्रियॉ प्रदाय अनिवार्यतः किया जाना होगा। यदि प्रदायकर्ता समयावधि में सामग्री प्रदाय नहीं करता है तो करारनामा निरस्त करते हुये प्रतिभूति की राशि अधिहरित की जावेगी। करार अवधि में अन्य प्रदायकर्ता से यदि ऊंची दरों में सामाग्रियॉ क्रय की जाती है तो अंतर की राशि की वसूली प्रथम प्रदायकर्ता से भू–राजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी जिसके लिये प्रदायकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

16. सफल निविदाकार के द्वारा निर्धारित समयावधि (करार अवधि) दिनांक 30.06.2019 के पूर्व सामग्री प्रदाय करने हेतु दिये गये कार्यादेश का पालन करने में असफल होने की स्थिति में उसका यह कृत्य करारनामा के शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा, एवं सत्यंकार राशि अधिहरित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

17. निविदाकार को निविदा प्रारूप के प्रस्तावित दर के अतिरिक्त अन्य प्रकार की लगने वाली राशि यथा जीएसटी तथा अन्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

18. जमा सत्यंकार राशि/सुरक्षा निधि पर ब्याज देय नही होगा।

19. छ.ग.शासन, वन विभाग एवं मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करने हेतु प्रदायकर्ता बाध्य होगा। किसी भी विवाद हेतु उपरोक्त दर्शित सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम होगा। न्यायालयीन प्रकरण का Jurisdiction दुर्ग जिला न्यायालय होगा।

20. निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

21. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य एवं बंधनकारी है।

22. पॉलीथीन बैग का विशिष्टीकरण निम्नानुसार होगाः–

- ❖ The bags shall be made from film manufactured from virgin quality high imact LDE (HI-LDE) which will be according to the appendix-A of is -9738.90 wioth up to date amendments for HI-LDPE. The colour of the film be natural.
- ❖ The bag shall be esasily operable.
- ❖ The bags dimensions shall be the inside measurements, exclusive of seals. The bags shall be supplied in dimensions as specified in the supply order. Tolerances shall be as per IS Specification.
- ❖ The bags shall be made by heat supply scaling (By auto cutting and sealing machine) of the following construction:-
  - a) Bags made from tubular film with a bottom seal and with or without perforations.
  - b) Bags made from tubular film with gusset on each side and with a bottom seal with or without perforations.
- ❖ The seals shall be such as to make the bag leakproof and teasted for water. The seal strength of bag shall be good and shall not be less than 60% of the breaking strength of the polythylene film from which the bag shall is made when tested in the direction perpendicular to the direction of the seal.
- ❖ The bag shall be capable of being closed by heat sealing at the oen end. They shall be supplied as individual bag. The bundle of bags may be tied by hessian roe or plastic rope.
- ❖ The bags shall be uniformly made and shall be free from pin holes, tears, cuts, ridges, wrinkles, or extraneous matter which might imair their utility.

वनमंडलाधिकारी
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)